5– कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि चयनित लाभार्थियों की सभी अवस्थापना सुविधायें बैंक ऋण व वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित कार्य दिनांक 15.12.2013 तक निश्चित रूप से पूर्ण करा लिये जायें तथा इन लाभार्थियों को प्रदेश के बाहर से निर्धारित संख्या में पशु भी उपलब्ध करा दिये जायें।

उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट मा0 मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है तथा इसकी समीक्षा उच्च स्तर पर किया जायेगा, यदि किसी भी स्तर पर शिथिलता पायी गयी तो क्षम्य नहीं होगी।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 3946 (1) /सैंतीस–2–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री पी0एस0 गौतम, अपर निदेशक, (गोधन) पशुपालन विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग उ0 प्र0।

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– ३०५८ /सैंतीस–2–2013

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उ0 प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक, २५ अक्टूबर, 2013

विषयः– कामधेनु योजना को समयबद्ध ढंग से लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 2416/सैतीस–2–2013–1(67)2012 दिनांक 27 जून, 2013 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कामधेनु योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप 100 गायों/भैंसों की डेयरी स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें प्रदत्त की गयी हैं।

इस संबंध में मासिक विभागीय समीक्षा बैठक में इस योजना की समीक्षा की गयी जिसमें कतिपय कमियां इंगित हुईं जिनका शीघ्र निराकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है:–

1– कतिपय जनपदों यथा–फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, इटावा, कांशीरामनगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा अन्य कई जनपदों में लाभार्थियों का चयन इस योजना के अन्तर्गत अभी तक नहीं किया गया है जबकि यह चयन दिनांक 15 सितम्बर, 2013 तक ही हो जाना चाहिए था। कृपया इन सभी जनपदों में लाभर्थियों का चयन इस माह के अन्त तक अवश्य करा लिया जाय।

2– अधिकतर जनपदों में जहाँ लाभर्थियों का चयन हो गया है परन्तु इनमें से कतिपय जनपदों में लाभार्थियों के प्रार्थना–पत्र ऋण स्वीकृत हेतु बैंको को अग्रसारित नहीं किये जा रहे है, यह स्थिति ठीक नहीं है। इस संबंध में उचित होगा कि चयनित लाभर्थियों के ऋण स्वीकृति हेतु प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित बैंको को इस माह के अंत तक अवश्य प्रेषित कर दिये जायें तथा दिनांक 15 नवम्बर, 2013 तक ऋण स्वीकृत की कार्यवाही पूर्ण करा ली जाय।

3– चयनित लाभार्थियों को जिन जनपदों में बैक ऋण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है वहाँ डेयरी की स्थापना हेतु अविलम्ब कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए, ताकि अवस्थापना सुविधा हेतु बोरिंग, डेयरी शेड तथा बाउण्ड्रीवाल इत्यादि समय से तैयार हो सके। यह कार्य बैंक से ऋण वितरण की प्रतीक्षा किये बिना मार्जिन मनी की सीमा तक पूर्ण कर ली जा सकती है।

4– इस योजना के अन्तर्गत डेयरी में एक बायोगैस प्लान्ट लगाया जाना था, परन्तु किसी भी जनपद में लाभार्थियों के प्रार्थना–पत्र वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराये जा रहे है। यह कार्य मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के स्तर से कामधेनु योजना की स्वीकृति तिथि के समय में ही पूर्ण होना चाहिए था। अतः इस माह तक इसे भी वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के समक्ष लाभार्थियों के प्रार्थना–पत्र भेजे जाने सुनिश्चित करें।